न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 19 / 2024 / जैसलमेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. उदाराम पुत्र रिड़मलराम 2. डूंगराराम पुत्र रिड़मलराम 3. पोकरराम पुत्र रिड़मलराम 4. बाबूराम पुत्र रिड़मलराम 5. मानाराम पुत्र रिड़मलराम 6. लाछिया पुत्र रिड़मलराम जाति भील निवासी सरदारसिंह की ढाणी तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर	1. सुमेराराम पुत्र सांगाराम 2. कालूराम पुत्र सांगाराम 3. दलूदेवी पत्नी सांगाराम 4. पोकराराम पुत्र लोंगाराम 5. पपू पुत्री खेताराम 6. प्रेम पुत्री खेताराम 7. मीरों पुत्री खेताराम 8. मूलाराम पुत्र खेताराम 9. आवडराम पुत्र खेताराम 10. सुआ पत्नी खेताराम जाति भील निवासी सरदारसिंह की ढाणी, तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर 11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भणियाणा जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा राजस्व वाद संख्या 29 / 2023 बअनवान सुमेराराम वगैरा बनाम उदाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

1. वकील श्री रिणछाराम सियाग अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री पुश्पेन्द्रसिंह रेस्पोडेंट संख्या 01, 03, 04, 07, 08 व 10 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—05.02.

2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि ग्राम सरदारसिंह की ढाणी पटवार क्षेत्र सरदारसिंह की ढाणी तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर की सीमा में खसरा संख्या 487 रकबा 7.8428 हैक्टयर भूमि आई हुई है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अलग—अलग हिस्सा निहित किया गया है उक्त भूमि में वादीगण संख्या 1 का 1/16 हिस्सा, वादीगण संख्या 2 का 1/24 हिस्सा, वादीगण संख्या 3 का 1/24 हिस्सा, वादीगण संख्या 4 का 1/8 हिस्सा, वादीगण संख्या 5 का 1/48 हिस्सा, वादीगण संख्या 6 का 1/48 हिस्सा, वादीगण संख्या 7 का 148 हिस्सा, वादीगण संख्या 8 का 1/48 हिस्सा, वादीगण संख्या 9 का 1/48 हिस्सा, वादीगण संख्या 10 का 1/48 हिस्सा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 06 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त हक व हिस्से अनुसार रहवासी मकान, टांका, पशुबाड़ा एवं आबाद परिवार निवास करते आ रहे है। उक्त भूमि का बंटवाड़ा नहीं होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण को कृषि के समय काश्त करने में परेशानी बाधा उत्पन्न होती है इस आशय का मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

के खिलाफ अंतिम डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 07 नियम 11 सी पी सी के तहत पेश कर वादीगण का वाद बेबुनियाद व मनगढत तथ्यों पर सी पी सी के प्रावधानों के विरूद्ध पेश होने से वाद को निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पेशी तारीख दिनांक 24.10.2024 को अपीलांटगण का प्रार्थना–पत्र मात्र " 07 R11 प्रा.प. खारिज किया जाता है" अंकित करते हुये खारिज कर दिया गया जबकि उक्त प्रार्थना–पत्र के संबंध में वादीगण द्वारा किसी प्रकार का जबाव तक पेश नहीं किया गया है तथा न ही आदेशिका में उक्त प्रार्थना–पत्र पर वादीगण के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है का कोई हवाला नहीं दिया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 को गलत रूप से मनमाने ढंग से खारिज किया गया है जिसमें कानून की धज्जियां उड़ाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण का जबावदावा रेकर्ड पर नहीं लिया गया है तथा न ही वादीगण व प्रतिवादीगण की साक्ष्य कमलबद्ध की गई है तथा न ही प्राथमिक डिक्री जारी की गई है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को कानून के बारे में शायद जानकारी का अभाव होने से इस प्रकार की कार्यवाही करते हुये न्यायालय की शक्तियों का दुरूपयोग किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तहसीलदार भणियाणा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्तवा के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित ही नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.10.2024 में O7 R11 प्रा.प. खारिज किया जाता है कब्जा काश्त रिपोर्ट तलब करने के आदेश पारित किये गये। जबकि हस्तगत वाद बंटवारे का है जिसमें प्राथमिक डिक्री पारित होने के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

में दर्ज हिस्सों के अनुसार उभयपक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार होकर मातहत अदालत के समक्ष पेश किया जाता है इसलिए बंटवारे के वाद में कब्जा काश्त रिपोर्ट तलब करने की आवश्यकता ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आराजी में वर्णित उभयपक्षकारान के हिस्सों की घोषणा ही नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय की उपरोक्त वर्णित आदेशिकाओं से यह स्पष्ट होता है कि मातहत अदालत के पीठासीन अधिकारी को कानून के वारे में शायद जानकारी का अभाव होने से इस प्रकार की कार्यवाही करते हुये न्यायालय की शक्तियों का दुरूपयोग किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 24.10.2024 की पालना में प्राप्त कब्जा काश्त अनुसार मौका रिपोर्ट मय नक्शा आगामी तारीख पेशी से पूर्व प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार भणियाणा को लिखा गया था जबकि तहसीलदार भणियाणा द्वारा अपीलाधीन आराजी का बंटवारा प्रस्ताव बिना किसी आदेश के तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जो विधि विरूद्ध कृत्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा काश्त रिपोर्ट मंगवाने के बावजूद तहसीलदार भणियणा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करना लोक सेवक द्वारा पद का दुरूपयोग किया जाना प्रतीत होता है। कब्जा काश्त रिपार्ट दिनांक 12.08.2024 को प्रेषित करने वाले तत्कालिन तहसीलदार भणियाणा को हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में न्यायालय आदेश के बिना किसी भी प्रकार की कार्यवाही अपनी तरफ से तैयार कर न्यायालय में पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद पैदा करने हेतु पेश नहीं करे अन्यथा आपके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु लिखा जायेगा। विचारण न्यायालय की पत्रावली से यह भी स्पष्ट होता है कि कब्जा काश्त रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत अपीलार्थीगण को उपरोक्त रिपोर्ट के संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थीगण को कब्जा काश्त रिपोर्ट के संदर्भ में युक्ति युक्त अवसर प्रदान नहीं हुआ है। अतः अपीलार्थीगण को युक्ति युक्त अवसर प्राप्त नहीं होना एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के प्रावधानों की पालना नहीं होने के कारण के कारण अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री सर्वथा विधिक प्रावधानों के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा राजस्व वाद संख्या 29/2023 बअनवान सुमेराराम वगैरा बनाम उदाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2024 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भणियाणा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर बाद समुचित सुनवाई अपीलांटस को जबाव दावा पेश करने का अवसर देते हुए उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पेश वाद में विधि में वर्णित प्रक्रियाओं का पूर्ण पालन करते हुए आदेश पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.02.2025 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 05.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर